भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1202
27 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

देश में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि

1202. **श्री नलीन कुमार कटीलः**
श्रीमती सुमलता अम्बरीशः
श्री डी. के. सुरेशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मलिन बस्तियों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठोस उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में मलिन बस्तियों के विकास और उनमें नागरिक सुविधाओं के प्रावधानों के लिए निधियां आवंटित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क): भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, देश भर में झुग्गी बस्तियों में रह रहे 1.39 करोड़ परिवारों की कुल आबादी 6.54 करोड़ थी, जो कुल शहरी आबादी का 17.4% और देश की कुल आबादी का 5.4% था। इसके अलावा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) 2012 के 69 वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, देश में झुग्गी बस्तियों की अनुमानित संख्या 33,510 है, जिसमें 13,761 अधिसूचित झुग्गी बस्तियां और 19,749 गैर-अधिसूचित झुग्गी बस्तियां शामिल हैं।

(ख) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, देश में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और बढ़ती हुई झुग्गी बस्तियों को कम करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। झुग्गी बस्तियों के बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। नई झुग्गी बस्तियां बनने के कई कारण हैं जिनमें शहरी जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, अपर्याप्त शहरी नियोजन

और सार्वजनिक परिवहन की कम सुविधाओं सहित किफायती आवास की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर शामिल हैं। केंद्र सरकार अपने मिशनों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है।

मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में अमृत 2.0 और एसबीएम 2.0 का शुभारंभ किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान झुग्गी बस्ती समूहों सहित देश में नागरिक सुविधाओं के विकास और प्रावधानों के लिए अमृत, अमृत 2.0, एसबीएम-यू और एसबीएम 2.0 के तहत आवंटित निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I से III में दिया गया हैं। पीएमएवाई-यू के तहत आवंटित निधियों का वर्ष-वार और शहर-वार विवरण https://pmay-urban.gov.in/LSUQ-No-1202-year-wise-and-city-wise-funds-released.pdf में उपलब्ध है

*****

दिनांक 27.07.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1202 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

अमृत के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान झुग्गी बस्ती समूहों सहित देश में नागरिक सुविधाओं के विकास और प्रावधानों के लिए जारी धन राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता	जारी केंद्रीय सहायता							
			वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24	
			परियोजनाओं	अन्य	परियोजनाओं	अन्य	परियोजनाओं	अन्य	परियोजनाओं	अन्य
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.82	-	0.01	4.32	-	-	-	-	
2	आंध्र प्रदेश	1,056.62	-	9.31	-	-	76.37	-	-	
3	अरुणाचल प्रदेश	126.22	-	1.21	56.44	0.6	-	0.15	-	
4	असम	591.42	-	6.12	179.64	-	258.83	-	-	
5	बिहार	1,164.80	685.93	-	-	-	-	-	-	
6	चंडीगढ़	54.09	-	-	-	-	-	-	-	
7	छत्तीसगढ़	1,009.74	415.55	17.52	-	3.89	-	-	-	
8	दादरा एवं नगर हवेली	10.82	-	-	4.16	-	-	-	-	
	दमन और दीव	18.03	-	-	-	-	-	-	-	
9	दिल्ली	802.31	-	-	206.2	-	-	-	155.53	
10	गोवा	104.58	-	0.24	-	-	-	-	-	
11	गुजरात	2,069.96	-	-	73.61	0.8	-	-	-	13
12	हरियाणा	764.51	147.18	18.94	147.18	3.01	-	3.29	-	
13	हिमाचल प्रदेश	274.07	56.73	3.81	66.71	0.31	-	-	-	
14	जम्मू एवं कश्मीर	500.62	-	0.4	95.64	1.94	0	-	-	
15	लद्दाख	79.19	-	-	-	-	-	0.35		
16	झारखंड	566.17	109.62	0.4	109.62	2.37	-	-	-	
17	कर्नाटक	2,318.79	280.5	18.74	125.93	9.14	-	-	-	
18	केरल	1,161.20	399.25	-	119.62	6.26	-	0.8		
19	लक्षद्वीप	3.61	0.41	-	0.41	-	-	-	-	
20	मध्य प्रदेश	2,592.86	-	28.08	100.76	10.54	-	-	-	
21	महाराष्ट्र	3,534.08	1,243.71	0.8	330	18.84	-	5.9	-	
22	मणिपुर	162.28	66.06	0.3	-	0.15	-	-	-	
23	मेघालय	72.12	-	0.57	22.69	0.28	39.42	-	-	
24	मिजोरम	126.22	45.27	1.13	-	0.49	-	-	-	
25	नागालैंड	108.19	-	2.21	43.52	0.34	-	-	30.69	
26	ओडिशा	796.97	-	13.08	-	1.32	-	-	-	
27	पुदुचेरी	64.91	9.19	1.99	9.19	0.27	19.66	0.46	-	
28	पंजाब	1,204.47	121.44	0.09	623.57	6.93	-	-	204.87	
29	राजस्थान	1,541.95	586.54	16.73	-	-	-	1.75	-	
30	सिक्किम	36.06	-	0.32	18.55	-	-	0.15	-	
31	तमिलनाडु	4,756.58	278.84	23.8	1,454.55	0.8	-	3.46	600	
32	तेलंगाना	832.6	350.7	9.95	-	0.8	-	-	-	

33	त्रिपुरा	133.43	26.21	1.38	79.58	-	-	-	-	
34	उत्तर प्रदेश	4,922.46	964.37	38.77	1,418.72	28.96	566.88	-	-	6.4
35	उत्तराखंड	533.72	113.39	-	147.02	1.08	-	0.72	-	
36	पश्चिम बंगाल	1,929.32	245.82	15.38	675.26	-	-	-	-	
कुल		**36,035.79**	**6,146.72**	**236.67**	**6,112.89**	**100.95**	**961.17**	**19.54**	**991.09**	**19.4**
नोट: 'अन्य' में ए एंड ओई फंड, सुधार प्रोत्साहन, जीआईएस आधारित मास्टर प्लान, एलएपी/टीपीएस और जेएनएनयूआरएम शामिल हैं।										

दिनांक 27.07.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1202 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

अमृत 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्लम समूहों सहित देश में नागरिक सुविधाओं के विकास और प्रावधानों के लिए जारी धन राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रतिबद्ध सीए (परियोजनाएं)	प्रतिबद्ध सीए (ए&ओई)	जारी केंद्रीय सहायता					
				वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24	
				परियोजना	अन्य	परियोजना	अन्य	परियोजना	अन्य
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	36	1.16	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	2,948.00	95.81	-	15.6	213.1189	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	226	7.35	-	2.9	-	-	-	-
4	असम	775	25.2	-	10	56.65	-	-	-
5	बिहार	2,628.00	85.41	-	28.6	-	-	-	-
6	चंडीगढ़	170	5.52	-	-	33	0.3	-	-
7	छत्तीसगढ़	1,303.00	42.33	-	17.8	148.4	-	-	-
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	30	0.99	-	-	-	-	-	-
9	दिल्ली	2,885.00	93.73	-	0.9	211.40559	-	-	-
10	गोवा	85	2.76	-	1.5	-	-	15.76	-
11	गुजरात	4,512.00	146.61	-	19.6	602.734	-	-	-
12	हरियाणा	1,496.00	48.61	-	11.2	-	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश	256	8.32	-	7	-	-	26.99	
14	जम्मू और कश्मीर	867	28.17	-	8.3	158.6	-	-	-
15	झारखण्ड	1,183.00	38.43	98.23	5.7	6.2896	-	-	1.15
16	कर्नाटक	4,628.00	150.37	-	34.2	614.37	-	-	-
17	केरल	1,374.00	44.65	-	10.2	148.74	-	-	-
18	लद्दाख	128	4.17	-	-	11.7	-	-	-
19	लक्षद्वीप	2	0.07	-	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	4,065.00	132.07	130.08	44.5	153.77	-	-	-
21	महाराष्ट्र	9,310.00	302.51	-	45.7	1,140.68	-	-	-
22	मणिपुर	170	5.52	-	2.8	0.6	-	16.45	-
23	मेघालय	111	3.62	-	1.1	21.69	-	-	-
24	मिजोरम	143	4.64	-	2.4	-	-	-	-
25	नागालैंड	176	5.73	-	4.1	-	-	-	-
26	ओडिशा	1,373.00	44.61	127.47	12.3	101.9162	-	-	-
27	पुदुचेरी	150	4.89	-	1	12.42	0.53	-	-
28	पंजाब	1,836.00	59.67	-	18.3	254.69	-	-	-
29	राजस्थान	3,552.00	115.41	-	24.2	95.53	-	213.75	-
30	सिक्किम	40	1.3	-	0.8	-	-	3.62	-
31	तमिलनाडु	4,942.00	160.56	-	69.4	398.13	-	-	-
32	तेलंगाना	2,789.00	90.63	100	15.5	-	-	-	-
33	त्रिपुरा	157	5.09	-	2.1	18.42	-	-	-
34	उत्तर प्रदेश	8,161.00	265.19	-	80.9	521.41	-	-	-
35	उत्तराखंड	585	19.02	-	10.8	42.08	-	-	-
36	पश्चिम बंगाल	3,658.00	118.88	-	18.8	495.65	-	-	-
कुल		**66,750.00**	**2,169.00**	**455.78**	**528.2**	**5,461.98**	**0.83**	**276.57**	**1.15**

दिनांक 27.07.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1202 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

एसबीएम-यू के तहत 2014-2021 और एसबीएम 2.0 के तहत वर्ष 2021-2026 के दौरान झुग्गी बस्ती समूहों सहित देश में नागरिक सुविधाओं के विकास और प्रावधानों के लिए आवंटित धन राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन आवंटन	
		एसबीएम-यू (2014-2021)	एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.52	8.60
2	आंध्र प्रदेश	571.33	1,413.30
3	अरुणाचल प्रदेश	36.28	129.00
4	असम	244.30	503.50
5	बिहार	556.68	1,204.80
6	चंडीगढ़	28.02	45.20
7	छत्तीसगढ	357.85	727.30
8	दादरा एवं नगर हवेली	4.13	31.20
9	दमन और दीव	2.58	
10	दिल्ली	349.75	1,192.60
11	गोवा	17.09	77.80
12	गुजरात	834.15	1,918.90
13	हरियाणा	287.08	645.70
14	हिमाचल प्रदेश	43.95	156.70
15	जम्मू एवं कश्मीर	140.44	429.90
16	लद्दाख	60.19	62.70
17	झारखंड	258.71	519.00
18	कर्नाटक	820.96	2,245.30
19	केरल	219.99	875.10
20	मध्य प्रदेश	920.04	2,200.20
21	महाराष्ट्र	1,677.80	3,758.50
22	मणिपुर	83.10	96.20
23	मेघालय	24.12	67.30
24	मिजोरम	49.02	82.50
25	नागालैंड	53.49	90.00
26	ओडिशा	372.02	821.40
27	पुदुचेरी	28.94	58.10
28	पंजाब	364.02	1,054.20
29	राजस्थान	705.46	1,765.80
30	सिक्किम	11.52	19.40
31	तमिलनाडु	1,200.50	3,296.70
32	तेलंगाना	413.74	1,067.30
33	त्रिपुरा	100.37	85.30
34	उत्तर प्रदेश	1,740.98	4,073.80
35	उत्तराखंड	112.00	343.40
36	पश्चिम बंगाल	911.34	1,449.30
कुल		**13,605.46**	**32,516.00**